

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 16/2021
दायर दिनांक : 03.03.2021
आदेश दिनांक : 12.12.2025

अनवान

मोहम्मद खां पिता खाजू खां जाति मूसलमान, निवासी रेलवे स्टेशन कुंवारिया,
तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द - प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
 2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना अधिकारी, भीलवाड़ा
 3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, कुंवारिया
- विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड क्रमांक 392 (अ) / दिनांक 06.02.2015

उपस्थित :-

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता - प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1 उपस्थित।
श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी(5) के तहत अवार्ड क्रमांक 392 (अ) दिनांक 06.02.2015 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा भीलवाड़ा से राजसमन्द फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए भू अवाप्ति की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा में गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई है और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की जा रही हैं। अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम खाखलिया खेड़ा तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद की खसरा संख्या 4 रकबा 0.5892 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी संख्या 1 द्वारा अवार्ड राशि



Dehu

416108/- रूपये में से 10 प्रतिशत टीडीएस, कटौती करते हुए शेष भुगतान योग्य शुद्ध राशि 374497/-रूपये निर्धारित करते हुए कुल 0.5892 हेक्टेयर जमीन अवाप्त की है जिसका मुआवजा वर्तमान बाजार दर अनुसार अदा नहीं किया गया है, न ही इस पर ब्याज एवं क्षतिपूर्ति राशि एवं तोषण राशि का भुगतान किया गया है। मौके पर बनी हुई संरचना, बाउण्ड्री का भी भुगतान नहीं किया गया है जबकि रोड़ बनाने में उसको मौके से हटा दिया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का कम मुआवजा तय किया गया है जबकि उक्त भूमि जो कि 0.5892 हेक्टेयर अवाप्त की गई है, उस पर 1000/- रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थी की 0.5892 हेक्टेयर अवाप्त होने पर भी मात्र 5768 वर्गफीट भूमि का ही मुआवजा अदा किया गया है जबकि उक्त पट्टेशुदा भूमि में से 12256 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है। इसकी प्रमाणिकता सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रकरण संख्या 01/2009 ई0दी0 अब्दूल बक्ष बनाम दिलदार खां वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध की गई अपील संख्या 06/2018 दिलदार खां बनाम अब्दूल बक्ष दिनांक 20.05.2019 से पुष्टि होती है जिसके तहत वादग्रस्त भूमि में से 12256 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है तथा उस पर मौके पर दुकानें बनी होकर संचालित हो रही थी। इसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से हो रही है तथा इसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर से तलब की गई मौका रिपोर्ट में भी मौके पर मुख्य सड़क पर इस भूमि में दुकानें बनी होकर संचालित हो रही थी। ऐसी स्थिति में आबादी भूमि में वाणिज्यिक उपयोग विधि द्वारा अनुज्ञेय है और वाणिज्यिक दर से ही मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थी अधिकारी थे लेकिन इन सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए आवासीय दर से मुआवजा तय किया गया है। यह भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसका पट्टा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी खाजु खां के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। यह पट्टा दिनांक 01.11.1961 को ग्राम पंचायत द्वारा निलामी में विक्रय की गई भूमि का जारी किया गया है। उक्त पट्टेशुदा भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा है। प्रार्थी ने मुआवजा अदा करने के लिये प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने के बाबत निवेदन किया उसके बाद मुआवजा का एवार्ड कम जारी किया गया। प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 06.02.2015 को जारी की गई जबकि भूमि का मुआवजा डीएलसी. दर दिनांक 20.02.2014 की प्रचलित दरों के आधार पर तय किया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार



Deh

मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा-निर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने उपस्थिति दी, विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपत्ती मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों से जाहिर होता है कि प्रार्थी ने अवार्ड दिनांक 23.07.2015 में निर्धारित मुआवजा राशि से असंतुष्ट होने पर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया है। किन्तु सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा 6 वर्ष की देरी का कारण प्रकटतः रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इस बाबत विस्तृत रूप से विलंब का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक था। किन्तु प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में मियाद के बाबत कोई कथन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम खाखलिया खेडा तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द के खसरा नम्बर 4 में से सरकारी आबादी बिलानाम गैर काबिल काश्त 0.5892 हैक्टेयर आबादी भूमि अवाप्त की गयी, जो कि केवल प्रार्थी के अधिकार की नही होकर अनेक हितधारियों की हैं। उक्त अवाप्त भूमि के संबंध में हितधारियों की ओर से वैधानिक स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण करने बाबत उप-पंजीयक से अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के प्रावधानों की अनुपालना में धारा 3 ए की अधिसूचना की दिनांक 20.02.2014 को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 112/-रूपयें वर्गफीट प्राप्त कर मुआवजा राशि का निर्धारण RFCTLARRACT-2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी को तहसीलदार राजसमन्द से 536 वर्गमीटर (5768 वर्गफीट भूभाग) में स्थित हितबद्ध व्यक्तियों के भूखण्डों एवं संरचनाओं की राशि के भुगतान पत्रादि प्राप्त हुए हैं, जो श्री खाजु खां पिता खुदाबख्श शेख को पंचायत द्वारा जारी पट्टा 205X111 = 22755 वर्गफीट भूखण्ड पर इनके वारिसों को 5768 वर्गफीट भू-भाग की राशि एवं भूखण्ड पर स्थित संरचना की राशि का भुगतान न्यायालय ए.डी.जे. राजसमन्द के द्वारा लोक अदालत की भावना से हुये राजीनामों के आधार पर पारित आदेश डिक्री दिनांक 20.05.2019 के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से भुगतान पत्रादि प्राप्त होने पर मुआवजा राशि का निर्धारण



Handwritten signature or initials in blue ink.

किया गया है, जिसमें RFCTLARR ACT-2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य, ब्याज, तोषण (सोलेशियम), कारक (फेक्टर) सहित लागू समस्त लाभांश दिये गये हैं, जिनका भुगतान भी हितधारियों को किया जा चुका है। भूमि पर स्थित संरचना के मुआवजे का भुगतान राजीनामों के आधार पर RFCTLARR ACT-2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हितधारियों को किया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्त भूमि व संरचना की मुआवजा राशि के निर्धारण में तोषण, ब्याज आदि लाभ हितधारियों को दिये हैं। लेकिन प्रार्थी ने फिर भी अपने मनमुताबिक बाजार दर 1000/- रुपये प्रति वर्गफीट से गलत तौर पर बिना किसी आधार के मुआवजे की मांग की है, जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण स्वीकार व देय नहीं है। प्रार्थी व उसके सह-हितधारियों की ओर से उक्त अवाप्त भूमि में से केवल मात्र 5768 वर्गफीट भूभाग का ही वैधानिक दस्तावेजों द्वारा अपना स्वामित्व साबित कर पाये हैं, जिसके अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। शेष अवाप्त भूमि पर प्रार्थी व उसके सह-हितधारियों का हक हकूक नहीं होने से नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है। अतः प्रार्थी व उसके सह-हितधारियों को अब कोई अन्य मुआवजा राशि का भुगतान करना शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खाखलिया खेड़ा तहसील कुंवारीया जिला राजसमंद की खसरा संख्या 4 रकबा 0.5892 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा विपक्षी संख्या 1 द्वारा अर्वाड राशि 416108/- रुपये में से 10 प्रतिशत टीडीएस, कटौती करते हुए शेष भुगतान योग्य शुद्ध राशि 374497/- रुपये निर्धारित करते हुए कुल 0.5892 हेक्टेयर जमीन अवाप्त की है जिसका मुआवजा वर्तमान बाजार दर अनुसार अदा नहीं किया गया है, न ही इस पर ब्याज एवं क्षतिपूर्ति राशि एवं तोषण राशि का भुगतान किया गया है। मौके पर बनी हुई संरचना, बाउण्ड्री का भी भुगतान नहीं किया गया है जबकि रोड़ बनाने में उसको मौके से हटा दिया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000 रुपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का कम मुआवजा तय किया गया है जबकि उक्त भूमि जो कि 0.5892 हेक्टेयर अवाप्त की गई है, उस पर 1000/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवाड जारी किया गया जबकि प्रार्थी की 0.5892 हेक्टेयर अवाप्त होने पर भी मात्र 5768 वर्गफीट भूमि का ही मुआवजा अदा किया गया है जबकि उक्त पट्टेशुदा भूमि में से 12256 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है। इसकी प्रमाणिकता सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रकरण संख्या 01/2009 ई0दी0 अब्दूल बक्ष बनाम दिलदार खां वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध की गई अपील संख्या 06/2018 दिलदार खां बनाम अब्दूल बक्ष दिनांक 20.05.2019 से पुष्टि होती है जिसके तहत वादग्रस्त भूमि में से 12256 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है तथा उस पर मौके पर दुकानें बनी होकर संचालित हो रही थी। इसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से हो रही है तथा इसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर से तलब की गई मौका रिपोर्ट में भी मौके पर मुख्य सड़क पर इस भूमि में दुकानें बनी होकर संचालित हो रही थी। ऐसी स्थिति में आबादी भूमि में वाणिज्यिक उपयोग विधि द्वारा अनुज्ञेय है और वाणिज्यिक दर से ही मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थी अधिकारी थे लेकिन इन सारे तथ्यों को दरकिनार



Delu

करते हुए आवासीय दर से मुआवजा तय किया गया है। यह भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसका पट्टा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी खाजु खां के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। यह पट्टा दिनांक 01.11.1961 को ग्राम पंचायत द्वारा निलामी में विक्रय की गई भूमि का जारी किया गया है। उक्त पट्टेशुदा भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा है। प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 06.02.2015 को जारी की गई जबकि भूमि का मुआवजा डीएलसी दर दिनांक 20.02.2014 की प्रचलित दरों के आधार पर तय किया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खाखलिया खेडा तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 4 में से सरकारी आबादी बिलानाम गैर काबिल काश्त 0.5892 हैक्टेयर आबादी भूमि अवाप्त की गयी, जो कि केवल प्रार्थी के अधिकार की नहीं होकर अनेक हितधारियों की हैं। उक्त अवाप्त भूमि के संबंध में हितधारियों की ओर से वैधानिक स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण करने बाबत् उप-पंजीयक से अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के प्रावधानों की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 20.02.2014 को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 112/-रूपये वर्गफीट प्राप्त कर मुआवजा राशि का निर्धारण RFCTLARR ACT - 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी को तहसीलदार राजसमन्द से 536 वर्गमीटर (5768 वर्गफीट भूभाग) में स्थित हितबद्ध व्यक्तियों के भूखण्डों एवं संरचनाओं की राशि के भुगतान पत्रादि प्राप्त हुए हैं, जो श्री खाजु खां पिता खुदाबख्श शेख को पंचायत द्वारा जारी पट्टा 205X111 = 22755 वर्गफीट भूखण्ड पर इनके वारिसों को 5768 वर्गफीट भू-भाग की राशि एवं भूखण्ड पर स्थित संरचना की राशि का भुगतान न्यायालय ए.डी.जे. राजसमन्द के द्वारा लोक अदालत की भावना से हुये राजीनामों के आधार पर पारित आदेश डिक्री दिनांक 20.05.2019 के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से भुगतान पत्रादि प्राप्त होने पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जिसमें RFCTLARR ACT - 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य, ब्याज, तोषण (सोलेशियम), कारक (फेक्टर) सहित लागू समस्त लाभांश दिये गये हैं, जिनका भुगतान भी हितधारियों को किया जा चुका है। भूमि पर स्थित संरचना के मुआवजे का भुगतान राजीनामों के आधार पर RFCTLARR ACT - 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हितधारियों को किया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्त भूमि व संरचना की मुआवजा राशि के निर्धारण में तोषण, ब्याज आदि लाभ हितधारियों को दिये हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सब्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना का नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा



Ashv

जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सब्यय निरस्त फरमाया जावें।


उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि जितनी भूमि अवाप्त हुई है उसके अनुसार उनको मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और कम भूमि का मुआवजा दिया गया है। अतः प्रार्थी को उनके टाईटल/हक अधिकार की भूमि के अनुसार मुआवजे का भुगतान करवाया जावे।

यहां पर अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कहा गया कि प्रार्थी द्वारा अपने टाईटल/हक अधिकार के संबंध में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे उन समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का जितना टाईटल/हक अधिकार बनता है उसके अनुसार सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है यदि उनका टाईटल/हक अधिकार अधिक भूमि पर बनता है और वह सम्यक दस्तावेज जो कि विधिक हों पेश कर देंगे तो उनको उसके अनुसार मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::


अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को प्रकरण प्रेषित (REMAND) कर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो भी उनके टाईटल/हक अधिकार के दस्तावेज हैं सभी दस्तावेजों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उन सभी टाईटल/हक अधिकार का विधिक परीक्षण करे और प्रस्तुत किये गये टाईटल दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार मुआवजे का पुनः निर्धारण करे।

निर्णय की प्रति मय मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की भिजवाई जावें।


(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 12.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द